बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग—२ कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित]

शनिवार, तिथि २८ मार्च, १९८१ ई०

विषय-सूची

पृष्ठ

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में चर्चा .... १—४

स्थगन प्रस्ताव की सूचना .... ४—५

शून्यकाल की चर्चाएँ :

(क) कैदियों के समक्ष पीने के पानी की समस्या ५

(ख) श्री अशोक कुमार सिंह की हत्या ५

(ग) एम० ए० एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई ६

(घ) सिंचाई के लिए लिफ्ट पम्प की व्यवस्था ६

(ङ) नियुक्ति में आरक्षण की अवहेलना .... ६—७

(च) श्री राजनन्दन सिंह को पुनर्स्थापित करना ७

(छ) प्रबंधक द्वारा कॉलेज का प्रभार नहीं छोड़ना ७

(माननीय सदस्य श्री लालू प्रसाद एवं लोक दल के कुछ अन्य माननीय सदस्य खड़े होकर बोल रहे थे "जेल में बलात्कार"। माननीय सदस्य श्री लालू प्रसाद हाथ में अखवार दिखला रहे थे ।

शून्य काल की चर्चाएँ :

(क) कैदियों के समक्ष पीने के पानी की समस्या ।

* श्री रमई राम—आज से लगभग डेढ़ महीने पूर्व से मुजफ्फरपुर केन्द्रीय कारा में पानी के अभाव के कारण कारा में रहने वाले कैदियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है । कैदियों को वाहर से पानी प्राप्त करना नामुमकिन है और भीतर पानी अप्राप्त है । ऐसी स्थिति में सरकार पानी के लिये क्या विचार कर रही है ?

(ख) श्री अशोक कुमार सिंह की हत्या ।

* श्री ध्रुव भगत—दिनांक २५-२-८१ को ४३ हार्डिंग रोड के पास बी० एम० पी–५ के सुबेदार मेजर श्री एस० के० सिंहा द्वारा पुलिस जीप से धक्का मार कर पटना विधि महाविद्यालय के छात्र श्री अशोक कुमार सिंह की हत्या कर दी गयी । उनकी विधवा पत्नी एवं ५ छोटे-छोटे बच्चे असहाय बन गये हैं ।

पटना के जिलाधीश ने मृतक परिवार को एक लाख रुपये की सहायता एवं दुर्घटना की जाँच सी० बी० आई० से कराने की अनुशंसा सरकार से की है जिस सम्बन्ध में विधान परिषद् में संसदीय कार्य मन्त्री ने इसी सत्र में सहायता की राशि घोषित करने का आश्वासन भी दिया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि वह अभी सदन में उपर्युक्त बिन्दुओं पर स्पष्ट वक्तव्य दें ।